जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

143/16

अपील सूचना अधिकार संख्या 143/2016 अनवानी नन्द राम पुत्र रेखाराम निवासी वार्ड न0 5 गांव मन्नीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

24.04.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नंद राम उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नंद राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दि.20.07.16 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. ग्राम पंचायत मन्नीवाली की राशन की दुकान (चेतक स्वयं सहायता समूह) की दुकान का 1 मार्च 2015 से 30 मार्च 2016 तक केरोसीन, बीपीएल, गेंहू, स्टेट बीपीएल गेंहू, अन्नोदय गेंहू, खाद्य सुरक्षा गेंहू और बीपीएल चीनी का वितरण और स्टॉक हर महीने की सूचना देने का कष्ट करे।
2. वितरण रजीस्टर और स्टॉक रजिस्टर की हर महीने की फोटो कॉपी देने का कष्ट करे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा बार बार सूचना मांगने पर भी उपलब्ध नही करवाई गई है बल्कि उसे गुमराह किया जा रहा है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 8026 दिनांक 29.09.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय में संधारित नही होने के कारण आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नही होने के कारण उनके कार्यालय के पत्र सं0 5455 दिनांक 19.08.2016 के द्वारा प्रार्थी को डाक द्वारा सूचित कर दिया गया था। इसलिए अपील खारिज की जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 5455 दिनांक 19.08.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

जिस प्रारूप में आप द्वारा उपरोक्त सूचना चाही गई है वह इस कार्यालय में संधारित नही है जो आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नही थी। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुॅक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो सबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता। इस संबंध में कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में जो अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध है, उस अभिलेख की सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे और जो सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है उस सूचना के लिए संबंधित को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर